समक्ष–न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल

म.प्र. ग्वालियर शिविर भोपाल

क्र -138-PBR 16

पुनरीक्षण क्र. :–

प्रस्तुत दिनांक :– 23/2/16

पुनरीक्षणकर्ता:– गोविन्दशंकर चौरे आयु लगभग 81 वर्ष पिता स्व. रामप्रसाद चौरे, निवासी नगर पालिका हरदा ने वार्ड के नाम बदलकर क्रमशः गढ़ीपुरा, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवनराम वार्ड क्र.8 हरदा रखा, तह. एवं जिला–हरदा (म.प्र.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण :– 1. रमेशचन्द्र आ. रामप्रसाद चौरे
निवासी संत आशाराम नगर भोपाल (म.प्र.)

2. महेश कुमार आ. रामप्रसाद चौरे
निवासी वंदना नगर इंदौर

3. मथुराबाई पुत्री रामप्रसाद चौरे पत्नि जयनारायण पारे
निवासी मकान नं.516 बी हनुमान मंदिर के पीछे इंदौर

4. कुसुम बाई बेवा श्यामकृष्ण चौरे
निवासी इंद्रा नगर कॉलोनी खण्डवा

5. मोहनीश आ. रामकृष्ण चौरे
निवासी इंद्रा नगर कॉलोनी खण्डवा

6. शिवशंकर आ. श्यामकृष्ण चौरे
निवासी इंद्रा नगर कॉलोनी खण्डवा

7. विजय आ. श्यामकृष्ण चौरे
निवासी इंद्रा नगर कॉलोनी खण्डवा

N.T. 26/2

पुनरीक्षण अं/धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 ओर से पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पुनरीक्षण क्र.59/निगरानी/09–10 गोविन्दशंकर विरूद्ध रमेशचन्द्र वगैरह में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 04/02/2016 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका पेश करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 738–पीबीआर/16 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–03–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 4–2–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार, हरदा द्वारा प्रकरण पटवारी के फर्द बटान हेतु नियत किया गया था । आवेदक द्वारा इसी आदेशिका के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई एवं राजस्व मण्डल में भी निगरानी प्रस्तुत की गई । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 13–8–2008 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त कर दी गई एवं कलेक्टर द्वारा इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 2–12–2009 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर समयावधि में निराकरण करें, परन्तु आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में कार्यवाही नहीं कराते हुए कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई, जिससे अनावेदकगण के इस तर्क को बल मिलता है कि आवेदक तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से निगरानी–दर–निगरानी प्रस्तुत कर रहा है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	